बी०सी० देवा उर्फ दयावा

बनाम

कर्नाटक राज्य

जुलाई 25, 2007

(आर०वी० रविन्द्रन और लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्तिगण)

दंड संहिता, 1860-धारा 376-आरोपी द्वारा पीड़िता पर यौन हमला करना-उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया-हस्तक्षेप से इंकार-निचली अदालतों ने सबूतों के उचित मूल्यांकन के आधार पर आरोपी के अपराध का निष्कर्ष निकाला-विश्वास योग्य अभियोक्त्री की साक्ष्य को खारिज करने का कोई उचित एवं न्यायोचित कारण नहीं-शिकायत में बताई गई पूरी घटना की पुष्टि पीड़िता, उसके माता-पिता और स्वतंत्र गवाहों की मौखिक साक्ष्य से हुई है-इसके अलावा चिकित्सकीय साक्ष्य की संपुष्टि के अभाव में अभियोजन प्रकरण संदिग्ध नहीं-अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश बरकरार रखा गया।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी ने पीड़िता पर जबरन यौन हमला किया और मौके से भाग गया। अन्वेषण किया गया। शिकायत दर्ज कराई गई। अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका अंतर्वस्त्र जब्त कर लिया गया। अभियोक्त्री और अपीलकर्ता का

चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने आदेश बरकरार रखा इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित करने में विफल रहा; डॉक्टर की राय के अनुसार अभियोक्त्री के शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई शारीरिक चोट नहीं पाई गई तथा विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर भरोसा करके गलती की। एक मात्र अभियोक्त्री की साक्ष्य स्वतंत्र सम्पुष्टि के बिना विश्सनीय तथा भरोसेमंद नहीं तथा निचली अदालतों ने केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया, अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने के योग्य है।

प्रत्यर्थी-राज्य ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है और सुविचारित फैसले के तहत विचारण न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है; और यह कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का विस्तार से विश्लेषण किया और इस प्रकार दोषसिद्धि आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित किया 1. विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य की उचित मूल्यांकन के आधार पर अभियुक्त के अपराध का निष्कर्ष निकाला है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायसंगत और न्यायोचित आधार नहीं है। [पैरा 14] [516-एच; 517-ए]

2.1. अभियोक्त्री की साक्ष्य को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने और उसे खारिज करने का कोई भी विश्वसनीय आैर न्यायोचित कारण नहीं है। अभियोक्त्री एक भरोसेमंद गवाह है और उस की साक्ष्य को आरोपी द्वारा उठाई गई कमजोर दलील पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसके परिवार के सदस्यों और अभियोक्त्री के परिवार के बीच दुश्मनी के कारण उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था और अभियोक्त्री संभोग के लिए सहमति देने वाली पार्टी थी, क्योंकि उसने आरोपी को अपराध करने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही डॉक्टरों ने उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट का कोई निशान देखा। [पैरा 10, 11, 12] [515-ई; 514-जी-एच; 515-बी]

2.2. अभियोक्त्री ने आरोपी के खिलाफ दर्ज शिकायत में घटना का क्रमबार विवरण दिया। अभियुक्त का नाम, जो उसी कॉफ़ी एस्टेट में मिस्त्री के रूप में काम कर रहा था, जहां पीड़िता और उसके माता-पिता के अलावा पीडब्लू -4, 5 और अन्य व्यक्ति काम कर रहे थे, अपराध के अपराधी के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, शिकायत में बताई गई पूरी घटना की पुष्टि पीड़िता, उसकी मां, उसके पिता और स्वतंत्र गवाहों की मौखिक साक्ष्य से होती है। [पैरा 131 1516-सी-डी]

2.3. यह दलील कि आरोपी या पीड़िता के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध नहीं बनाया है। हालाँकि, अभियोक्त्री की चिकित्सीय जांच से संबंधित स्त्री रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट में संभोग के किसी भी सबूत का खुलासा नहीं किया गया है, फिर भी चिकित्सीय साक्ष्य की सम्पुष्टि के अभाव में, अभियोक्त्री की मौखिक साक्ष्य, जो कि ठोस विश्वसनीय, पुख्ता और दृढ़ होने से स्वीकार किये जाने योग्य है। हालाँकि, आरोपी और पीड़िता के अंतर्वस्त्र से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट में कोई वीर्य का दाग नहीं था, फिर भी उक्त रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आरोपी के अंडरवियर को पुलिस ने घटना के अगले दिन ही अपने कब्जे में ले लिया था। जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि

आरोपी ने वही अंडरवियर पुलिस को सौंपा था, जो उसने घटना के दिन पहना हुआ था या उसने कोई अन्य अंडरवियर सौंपा था, जिसे पुलिस ने महाजर के तहत जब्त कर लिया था। घटना के समय अभियोक्त्री के पेटीकोट पर वीर्य के दाग न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेटीकोट पानी में भीग गया था और वीर्य के दाग धुल गए होंगे। [पैरा 13] [516-डी-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 205(2001)

आपराधिक अपील संख्या 334/1996 में बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 01.03.2000 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से नरेश कौशिक, सतीश दया नंदन, पराग गोयल और जी.एस. पांडे (वास्ते कमल मोहन गुप्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से अनिल मिश्रा, अमित कुमार चावला और रमेश जाधव (वास्ते संजय आर. हेगड़े)

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

लोकेश्वर सिंह पंटा, जे. 1. अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 334/96 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 01.03.2000 को पारित फैसले के खिलाफ यह

अपील दायर की है, जिसमें दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 [संक्षेप में "आईपीसी"] के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपीलकर्ता पर 7 साल की सज़ा और 5000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदायगी में व्यक्तिक्रम होने पर 6 माह के सश्रम कारावास से सेशन केस नंबर 32/93 में 11.04.1996 को विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, मडिकेरी द्वारा अधिरोपित किया गया है।

2. संक्षिप्त तथ्य, जिसके कारण अपीलार्थी का विचारण किया गया, इस प्रकार हैं:

3. वर्ष 1991 में, अभियोक्त्री (पीडब्लू-2), उसकी मां जयंती (पीडब्लू-3) और पिता राजू (पीडब्लू-13) अथूर कॉफी एस्टेट में काम कर रहे थे। वे एस्टेट की श्रमिक कॉलोनी में रह रहे थे। बी०सी०- देवा उर्फ दयावा अभियुक्त भी उसी कॉफी एस्टेट में मिस्त्री के रूप में काम कर रहा था। 28.03.1991 को, पीड़िता और उसकी मां कॉफी के बीज लेने के लिए कॉफी एस्टेट गए थे, जबकि पिता ट्रैक्टर चलाने की अपनी नियमित ड्यूटी पर गया था, दोपहर के भोजन के समय अभियोक्त्री मध्याह्न भोजन लेने के लिए अपने घर गयी थी। लंच ब्रेक के बाद जब पीड़िता अपनी मां के लिए लंच बॉक्स लेकर कॉफी एस्टेट लौट रही थी, तभी आरोपी अचानक पीछे आ गया और उसे पकड़कर कॉफी गार्डन के अंदर करीब 10 फीट की दूरी तक घसीटा गया। आरोपी ने अपने बाएं हाथ से पीड़िता का मुंह बंद

कर दिया और उसे कॉफी के पौधों के नीचे जमीन पर लिटा दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता पर जबरन यौन हमला किया और फिर घटनास्थल से भाग गया। अभियोक्त्री ने तुरंत अपनी मां (पीडब्लू-3) को घटना के बारे में सूचित किया। पीड़िता ने आत्महत्या करने का फैसला किया क्योंकि वह आरोपी के कृत्य से अपनी प्रतिष्ठा को हुए अपमान और निरादर को सहन करने में असमर्थ थी और उसे लगा कि इस घटना के बाद कोई भी उपयुक्त लड़का उससे शादी करने की पेशकश नहीं करेगा। अंततः अभियोक्त्री ने कॉफ़ी एस्टेट में स्थित पास के पानी के टैंक में छलांग लगा दी। शशप्पा (पीडब्लू-4), यशोधरा (पीडब्लू-5), एक बाबू और विश्वनाथ, जो पानी की टंकी के पास पंप हाउस पर मरम्मत कार्य कर रहे थे उसे पानी के टैंक की तरफ से आवाज सुनी। वे पानी की टंकी के पास पहुंचे और पीड़िता को पानी में संघर्ष करते हुए पाया। अंततः पीडब्लू-4 ने अपने सहयोगियों की मदद से उसे पानी की टंकी से बाहर निकाला। पूछताछ करने पर, पीड़िता ने पीडब्लू-4 को बताया कि वह आत्महत्या करना चाहती थी क्योंकि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पीडब्लू-5 ने जाकर पीड़िता की मां पीडब्लू-3 को घटना के बारे में सूचित किया। अभियोक्त्री की मां पीडब्लू-3 और अभियोक्त्री के पिता पीडब्लू-13 दोनों अभियोक्त्री को कॉफी एस्टेट के एस्टेट राइटर पेरियासे (पीडब्लू-6) के पास ले गए और उसे घटना के बारे में बताया। पीडब्लू-6 ने उन्हें पुलिस

स्टेशन में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। तदनुसार, पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पुलिस स्टेशन, सुंतीकोप्पा गई और शिकायत दर्ज कराई, पीडब्लू-14 ने मामला अपराध संख्या 35/91 दर्ज किया और इलक्का मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) प्रस्तुत की। पीडब्लू-14 ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मदिकेरी सरकारी अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल के डिप्टी सर्जन डॉ. नागेंद्रमूर्ति (पीडब्ल्यू-15) ने रात करीब 9.15 बजे पीड़िता की जांच की और उसे आगे की जांच और राय के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजा। उसी दिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सचिदानंद ने पीड़िता की जांच की और अपनी राय दी। दिनांक 29.03.1991 को, पीडब्लू-14, जांच अधिकारी, घटना स्थल पर गए और पीडब्लू-2 और 8 चांगप्पा की उपस्थिति में आवश्यक स्पॉट महाजर (प्रदर्श पी-4) को तैयार किया। हेड कांस्टेबल रेवन्ना (पीडब्लू-9) ने आरोपी को सनटिकोप्पा बाजार में गिरफ्तार किया और उसे पीडब्लू-14 के सामने पेश किया, जिसने पंच गवाहों की उपस्थिति में तैयार महाजर (प्रदर्श.पी-5) के जरिए आरोपी के अंडरवियर को जब्त कर लिया। आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. शिवराम नाइक (पीडब्लू-16) ने आरोपी की जांच की और प्रमाण पत्र (प्रदर्श. पी-10) प्रदत्त किया। इस मामले की आगे अनुसंधान डिप्टी द्वारा किया गया। एस.पी. सत्यनारायण राव (पीडब्लू-17) ने अनुसंधान पूरा होने के बाद सीजेएम, मडिकेरी के समक्ष आरोप पत्र

दायर किया गया विद्वान सी.जे.एम द्वारा मामला सत्र न्यायालय में कमिट किया गया।

4. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप तय किया। अभियुक्त ने आरोप के प्रति स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण किये जाने का दावा किया।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 17 गवाहों को परीक्षित कराया गया। दं०प्र०सं० की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना और झूठा फंसाया जाने का कथन किया। यद्यपि अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया।

6. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सभी सबूतों पर विचार करने के बाद दोषसिद्धि दर्ज की और अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया।

7. उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों के पुनरांकलन और पुनर्मूल्यांकन कर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। अत: विशेष अनुमति द्वारा यह अपील अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

8. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए चुनौती दी कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित कराने में विफल रहा है। डॉक्टरों की चिकित्सीय राय में, पीड़िता के शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई शारीरिक चोट नहीं पाई गई, जो तथ्य स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न के संबंध में पीड़िता के बयान को झुठलाता है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अभिलेख पर मौजूद तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर भरोसा करके गंभीर त्रुटि की है, अभियोक्त्री की साक्ष्य को स्वतंत्र पुष्टि के बिना विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं पाया जा सकता है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि नीचे की दोनों अदालतों ने केवल अनुमानों और अटकलों पर आरोपी को दोषी ठहराया है, इसलिए, आरोपी बरी किए जाने का हकदार है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है और सुविचारित निर्णय के तहत विचारण न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा सबूतों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है और

इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में दर्ज दोषसिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

10. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की संबंधित दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया है। अभियोक्त्री ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से और साफ तौर पर कहा है कि 28.03.1991 की सुबह वह अपनी मां (पीडब्लू-3) के साथ कॉफी के बीज चुनने के अपने नियमित काम में भाग लेने के लिए अथूर गांव के कॉफी एस्टेट में गई थी और लगभग 2.00 बजे दोपहर वह मध्याह्न भोजन लेने के लिए घर गयी थी। भोजन करने के बाद वह टिफिन बॉक्स में अपनी मां के लिए भोजन लेकर कार्यस्थल पर लौटी, तभी रास्ते में आरोपी, जो उसे जानता है, अचानक उसके पीछे आया और उसके शरीर को पकड़ लिया। उसके प्रतिरोध और आरोपी से उसे छोड़ने के अनुरोध के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती की और फिर उसे कॉफी एस्टेट में कुछ दूरी तक घसीटा। आरोपी ने अभियोक्त्री के हाथ से टिफिन बॉक्स छीन लिया और अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसके बाद उसे जमीन पर लिटा दिया। उसने उसकी साड़ी और पेटीकोट उठाया, अपनी पतलून की ज़िप खोली और अपना अंडरवियर उतार दिया और फिर उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो

गया। उसने बताया कि उसने टिफिन बॉक्स उठाया और उस जगह चली गई जहां उसकी मां काम कर रही थी व रोते हुए सारी घटना अपनी मां को बतायी। उसने अपनी मां से कहा कि उसे इस घटना पर शर्म आ रही है और अगर कॉफी एस्टेट में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को इस घटना के बारे में पता चलेगा, तो वह अपमानित महसूस करेगी और उनके अनुमान में वह एक खराब चरित्र वाली लड़की होगी क्योंकि आरोपी ने उसकी इज्जत खराब कर दी है और अब उसे शादी के लिए कोई इज्जतदार लड़का नहीं मिलेगा। अभियोक्त्री ने आत्महत्या करने का फैसला किया आैर पास स्थित पानी के टैंक में छलांग लगा दी। पीडब्लू-4-शशप्पा, पीडब्लू-5-यशोधरा और दो अन्य गवाहों, अर्थात् बाबू और विश्वनाथ, जो पानी की टंकी के पास पंप हाउस पर काम कर रहे थे, ने डूबने से बचाया। उसने कॉफी एस्टेट के प्रबंधक पीडब्लू-6 को भी घटना के बारे में सूचित किया और उसकी सलाह पर, वह शाम लगभग 7.00 बजे सनटिकोप्पा पुलिस स्टेशन गई और पुलिस अधिकारी से शिकायत की। उसी दिन उसकी चिकित्सकीय जांच की गई। अगले दिन, उसने अपना पेटीकोट पेश किया जिसे पुलिस द्वारा तैयार किये गए महज़र (प्रदर्श पी-3) में जब्त कर लिया गया था। बचाव पक्ष द्वारा उससे लंबी जिरह की गई है, लेकिन उसकी गवाही के तात्विक पहलू पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। उसने जिरह में कहा कि आरोपी द्वारा उसे जमीन पर गिराने के बाद, उसने दो या तीन

बार उसे धक्का दिया, लेकिन वह उसके चंगुल से छुड़ाने में सफल नहीं हो सकी। अभियोक्त्री की गवाही से यह स्पष्ट है कि घटना एक सुनसान स्थान पर हुई, जिस पर किसी और का ध्यान नहीं गया। आरोपी के इस सुझाव से कि उसके परिवार के सदस्यों और पीड़िता के परिवार के बीच दुश्मनी के कारण उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है, उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। आरोपी ने परिवार के बीच दुश्मनी के अपने बचाव को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है और उसकी इस दलील को अभियोक्त्री और अन्य तात्विक साक्षियों की उपलब्धता के अत्यधिक भरोसेमंद साक्ष्य के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

11. अभियोक्त्री की साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष ने यह मामला बनाने की कोशिश की कि अभियोक्त्री संभोग के लिए सहमत पक्ष है क्योंकि उसने आरोपी को अपराध करने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही डॉक्टरों को उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट का कोई निशान नजर आया। हमारी राय में, आरोपी की यह दलील पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है और यह पीड़िता के पश्चातवर्ती आचरण से गलत साबित होती है, जैसा कि ऊपर देखा गया है कि घटना के बाद वह अपनी मां के पास पहुंची और पूरे प्रकरण के बारे में अपनी मां को बताया कि वह भावनात्मक और मानसिक

रूप से इतनी उदास और अपमानित महसूस कर रही थी कि वह आरोपी के क्रूर कृत्य से अपने चरित्र और नैतिक आचरण पर अंकित अपमान और बदनामी को सहन नहीं कर सकी। अभियोक्त्री ने पानी की टंकी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का चरम कदम उठाया। इसके अलावा, घटना के बारे में पीडब्लू शशप्पा, पीडब्लू यशोधरा, बाबू और विश्वनाथ को बताया गया, जिन्होंने अंततः पीड़िता को पानी की टंकी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। घटना का पीडब्लू-6 एस्टेट राइटर को भी अवगत कराया गया, जिन्होंने पीड़िता और उसके माता-पिता को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी, जिस पर पीड़िता ने उसी रात तुरंत कदम उठाया।

12. अभियोक्त्री की साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत हमें उसकी गवाही पर अविश्वास करने और खारिज करने के लिए कोई भी उचित एवं न्यायोचित कारण नहीं मिला है। अभियोक्त्री एक विश्वसनीय गवाह है और आरोपी द्वारा उठाई गई उपरोक्त कमजोर दलील पर उसकh साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है।

13. अभियोक्त्री की साक्ष्य को अभियोक्त्री की मां, पीडब्लू-3 की गवाही से पूर्ण समर्थन और पुष्टि मिलती है। पीडब्लू-3 की साक्ष्य है कि घटना वाले दिन दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद अभियोक्त्री रोती हुई उसके पास आई और उसे पूरी घटना बताई और यह भी खुलासा किया कि

अभियोक्त्री का इस दुनिया में आगे रहने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि एक अच्छा और समझदार लड़का दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनकर उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। इस गवाह की यह भी साक्ष्य है कि पीड़िता पानी की टंकी में कूदकर आत्महत्या करने के स्पष्ट इरादे से पास के पानी के टैंक की ओर बढ़ी और अंततः उसे पीडब्लू-4 शशप्पा, पीडब्लू-5 यशोधरा, बाबू और विश्वनाथ द्वारा डूबने से बचाया गया। पीडब्लू-4 की साक्ष्य है कि घटना वाले दिन दोपहर में जब वह पानी की टंकी के पास पंप हाउस में काम कर रहा था तो उसे टंकी में किसी के गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह बाबू, विश्वनाथ और पीडब्लू-5 के साथ तुरंत पानी की टंकी के पास पहुंचे और अभियोक्त्री को पानी में डूबते हुए देखा। उसने कहा कि पीड़िता को उनके द्वारा पानी की टंकी से बाहर निकाला गया था और जब उसने उससे आत्महत्या करने के कारण के बारे में पूछा, तो पीड़िता ने खुलासा किया कि घटना के दिन दोपहर में आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। इस गवाह से विस्तृत जिरह की गई, लेकिन उसका साक्ष्य से यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं निकला कि गवाह ने आरोपी को झूठे मामले में फंसाने के लिए साक्ष्य दी है या गवाह, किसी भी तरह से, अभियोक्त्री से संबंधित है और इसलिए, उसकी मदद करने की कोशिश की है। यशोधरा (पीडब्लू-5) ने अभियोक्त्री और पीडब्लू-4 की साक्ष्य का पूर्णतः समर्थन किया है। अभियोक्त्री ने शिकायत

में घटना का क्रम बारं विवरण दिया है। शाम 7 बजे आरोपh के खिलाफ पी-2 दर्ज कराई गई है। आरोपी जो उसी कॉफी एस्टेट में मिस्त्री के रूप में जहां पीड़िता और उसके माता-पिता (पीडब्लू-2 और 13), पीडब्लू-4, 5 और अन्य व्यक्ति काम कर रहे थे, को स्पष्ट रूप से अपराध के अपराधी के रूप में उल्लेखित किया है। इस प्रकार, शिकायत में वर्णित पूरी घटना (प्रदर्श पी-2) की पीड़िता, उसकी मां (पीडब्लू-3), उसके पिता (पीडब्लू-13) और स्वतंत्र गवाहों (पीडब्लू-4 और 5) की मौखिक गवाही से पुष्ट होती है। यह दलील कि आरोपी या पीड़िता के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध नहीं बनाया है। हालाँकि, अभियोक्त्री की चिकित्सीय जांच से संबंधित स्त्री रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट संभोग के किसी भी सबूत का खुलासा नहीं करती है, फिर भी चिकित्सा साक्ष्य की किसी भी पुष्टि के अभाव में, अभियोक्त्री की मौखिक गवाही ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद होने से स्वीकार किये जाने योग्य है। हालाँकि, आरोपी और पीड़िता के अंतर्वस्त्र से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्श सी-1 के रूप में चिह्नित किया गया था, लेकिन उसमें कोई वीर्य का दाग नहीं था, फिर भी उक्त रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि आरोपी के अंडरवियर को पुलिस ने घटना के अगले दिन अपने कब्जे में ले लिया था जब पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर

कोई सबूत नहीं लाया गया है कि आरोपी ने वही अंडर वियर पुलिस को सौंप दिया, जो उसने घटना के दिन पहना था या उसने कोई अन्य अंडरवियर सौंपा था जो पुलिस द्वारा महाजर के तहत जब्त किया गया था (प्रदर्श.पी-5) घटना के समय अभियोक्त्री के पेटीकोट पर वीर्य के दाग न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेटीकोट पानी में भीग गया था और वीर्य के दाग धुल गए होंगे।

14. विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अभियोजन पक्ष के सबूतों के उचित मूल्यांकन के आधार पर आरोपी के अपराध का निष्कर्ष निकाला है। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमें अभियुक्त की दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अपील में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित और उचित आधार नहीं मिला। अतः अपील खारिज की जाती है।

15. अभियुक्त जमानत पर है, उसे तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और सजा की शेष अवधि भुगतने का निर्देश दिया जाता है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रीति नायक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।